तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
4/5/12	वकुलाए फरिकेन उपस्थित बहस प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी पर सुनी गई वकील प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 6 के अधिवक्तान ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीया ने इस आश्य का वाद पेश किया गया है कि सयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पति की कृषि भूमि फरीकेन दावा के मोरूप अलग कानसिह पुत्र महताबसिह के खसरा न0 23 की 73.00 बीधा , 25 मिन की 30.05 बीधा कुल 103 बीधा 05 बिश्वा भूमि थी कानसिह पुत्र महताब के फोत होने के बाद उसके पुत्रगण कालू , हरू, बेगाराम, नानूराम पर औद हुइ तथा चारो के नाम कागजात में बहिब दर्ज हो गई तथा कालू व हरू कंवारे व लावल्द फोत हो गये जो नानूराम के साथ शामिल रहे उनके हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई क्योकि बेगाराम व उनके पिता कानसिह अन्यत्र भूमि निकाल कर दे दी तथा उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 नानूराम 3/4 हिस्सा भूमि अर्थात 77.08 बीघा तथा कानसिह के एक अन्य खसर न0 220 मीन की 25.00 बीघा नानूराम को दी थी इसप्रकार पैतृक भूमि 103 बीघा 5 बिश्वा भूमि मिली एवं वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 हिन्दु परिवार से शासीत है उक्त भूमि मुश्तरका हिन्दु खानदान की मुश्तरका भूमि है जिसमें वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का पैदायशी हक हिस्सा है तथा अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार है उक्त कुल 129 बीघा भूमि के करीब जिसके 2580 हिस्से मे वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी आश्यो की धोषणा करवाने का वाद पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि से सम्बधित पूर्व में माननीय न्यायालय से निर्णय हो चुके है माननीय न्यायालय मे एक वाद संख्या 120/2004 श्रवण कुमार बनाम नानूराम वाद इश्तकरार हे व खाता तकसीम व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था जो दिनांक 05.06.2007 को खारिज फरमा दिया गया था जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में श्रवणकुमार बनाम नानुराम पेश की जो अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा स्वीकार की तथा उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 05.06.2007 को अपास्त कर वाद वादी डिक्री कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 नानुराम का हिस्सा कलमजन कर दिया गया एवं दावा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर को रिमाण्ड कर दिया गया माननीय उपखण्ड अधिकारी नोहर ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय की पालना में तजबीज तकसीम की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर वादी का वाद दिनांक 30.03.2009 को अन्तिम डिक्री किया जा चुका है वादीया द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री व उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा पारित डिक्री को शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने के लिये न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश नोहर में विधादेवी बनाम बलराम पवाद पेश किया गया जो कि दिनांक 27.10.2017 को अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। विवादित भूमि के सम्बध में माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगए ने प्रतिवादी संख्या 1 नानुराम का नाम कलमजन करते हुए वादी का वाद डिक्री किया गया है जिसको वादीय बाध्य है वादीया को उक्त निर्णय के सम्बध मे कोई ऐतराज था तो राजस्व मण्डल में अपील पेश कर सकती थी। माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पूर्व पारित वाद के तथ्य समान है जिसके सम्बध में निर्णय पारित किये जा चुके है पूर्व निर्णयो से वादीया	

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

बाध्यकारी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद खारिज फरमावे।

वादीया के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी के सभी इनग्रीडेट पुरे नही होते है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेनटेबल नही है जिस वाद में पक्षकार ना हो उन पर वाद में पारित निश्रय लागू नही होता है वाद के पक्षकार पर ही निर्णय लागू होते है इसलिये पूर्व वाद का निर्णय इस वाद पर लागू नही होगा। सिविल न्यायालय के दावा में बटवारानामा के दिनांक 08.04.2010 दिनांक 16.08.2011 निष्पादित बैयनामा अकृत व शुन्य तथा निष्प्रभावी घोषित किया जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था जबकि उपखण्ड अधिकारी राजस्व में ईश्तकरार हक व खाता विभाजन का प्रस्तुत किया है जो पूर्ववर्ती वाद है सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद पश्चातवर्ती वाद है जो अदम पैरवी में खारीज हो गया है तो इस वाद पर कोई असर नही पडता है जबकि वाद पुनः दिनांक 03.11.2017 को रेस्टोर करने का प्रार्थना पत्र लम्बित है जिसमें पुनः तामिल हो चुकी है दावा अदम पैरवी में खारिज होने से न्यायालय के अन्तिम निर्णय नही किया है वादीया पूर्व वाद में पक्षकार नही है इसलिये प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी लागू नही होते है इसी आधार पर 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है वादीया रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्त से बाधित नही है अतः प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी खारिज फरमाया जाकर वाद में आगामी कार्यवाही फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार

वादीयो ने हस्तगत वादी कानसिह पुत्र महताबसिह के खसरा न0 23 की 73.00 बीधा , 25 मिन की 30.05 बीधा कुल 103 बीधा 05 बिश्वा भूमि थी कानसिह पुत्र महताब के फोत होने के बाद उसके पुत्रगण कालू , हरू, बेगाराम, नानूराम पर औद हुइ तथा चारो के नाम कागजात मे बहिब दर्ज हो गई तथा कालू व हरू कंवारे व लावल्द फोत हो गये जो नानूराम के साथ शामिल रहे उनके हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई क्योकि बेगाराम व उनके पिता कानसिह अन्यत्र भूमि निकाल कर दे दी तथा उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 नानूराम 3/4 हिस्सा भूमि अर्थात 77.08 बीधा तथा कानसिह के एक अन्य खसर न0 220 मीन की 25.00 बीधा नानूराम को दी थी इसप्रकार पैतृक भूमि 103 बीधा 5 बिश्वा भूमि मिली एवं वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 हिन्दु परिवार से शासीत है उक्त भूमि मुश्तरका हिन्दु खानदान की मुश्तरका भूमि है जिसमें वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का पैदायशी हक हिस्सा है तथा अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार है उक्त कुल 129 बीधा भूमि के करीब जिसके 2580 हिस्से में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिब के खातेदार काश्तकार है का वाद पेश किया गया है

प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार माननीय न्यायालय मे एक वाद संख्या 120/2004 श्रवण कुमार बनाम नानूराम वाद इश्तकरार हक व खाता तकसीम व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था जो दिनांक 05.06.2007 को खारिज फरमा दिया गया था जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में श्रवणकुमार बनाम नानुराम पेश की जो अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा स्वीकार की तथा उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 05.06.2007 को अपास्त कर वाद वादी डिक्री कर दिया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 नानुराम का हिस्सा कलमजन कर दिया गया एवं दावा में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर को रिमाण्ड कर दिया गया माननीय उपखण्ड अधिकारी नोहर ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय की पालना में तजवीज तकसीम की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट प्राप्त की जाकर वादी का वाद दिनांक 30.03.2009 को अन्तिम डिक्री किया जा चुका है।

प्रतिवादी संख्या 6 के द्वारा प्रस्तुत फर्द अहकाम/अपील प्रति माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ वाद संख्या 106/2012 अनवानी देवीलाल बनाम श्रवण कुमार के अनुसार उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा अनवानी वाद श्रवण कुमार बनाम नानुराम में पारित की गई अन्तिम डिक्री दिनांक 30.03.2009 के विरूद्व अपील विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 23.03.2021 थी वर्तमान स्थिति के सम्बध में उभयपक्षों के द्वारा कोई जानकारी नही दिये जाने के कारण न्यायालय उक्त अपील विचाराधीन होना मान सकता है।

वादीया के द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित भूमि एवं माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में विचाराधीन अपील में वर्णित भूमि समान है।

वादीया के वाद में वर्णित भूमि के सम्बध में उच्च राजस्व न्यायालय में अपील विचाराधीन रहते वादीया इस न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है वादीया वाद भूमि के सम्बध में किसी प्रकार का हक हिस्सा या अनुतोष चाहती है तो वह राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में विचाराधीन वाद में अपना पक्ष प्रस्तुत कर अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष पेश करती है पृथक से न्यायालय में वाद पेश कर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है।

वादीया के वाद में वर्णित भूमि के सम्बध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2009 के विरूद्व अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में विचाराधीन रहते पृथक से वाद पेश कर अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नही है वादीया अपना पक्ष राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में विचाराधीन अपील में प्रस्तुत करने के लिये स्वतन्त्र है।

अतः वादीया के वाद में वर्णित भूमि के सम्बध में राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील जेरकार होने के कारण प्रार्थी /प्रतिवादी संख्या 6 को प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीया के वाद की कार्यवाही ड्रोप/स्थगित /खारिज किया जाता है पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों

निर्णय आज दिनांक 04/5/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner